भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – 350

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क

***350. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:**
श्री आनंदराव अडसुल:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और इनकी रक्षा करने तथा भारत के बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संबंध में दिनांक 09.12.2016 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) अपने आदेशों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उपभोक्ता कल्याण को प्रोत्साहित करता है। यह उद्यमों द्वारा प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले व्यावहारों और प्रभुता के दुरुपयोग का निषेध करता है। इस आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उल्लंघन के अनेक मामलों में सीज और डेजिस्ट आदेश पारित किए हैं और साथ ही दण्ड भी लगाया है।

(ख): इंटरनेशनल कंपीटीशन नेटवर्क (आईसीएन) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का आईसीएन वार्षिक सम्मेलन 2018 नई दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

*****